छत्तीसगढ़ शासन
जल संसाधन विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, कैपिटल कॉम्प्लेक्स
नया रायपुर (छ.ग.)

क्र. 113 /एफ–5–260/एस–2/31/जसं/2013, नया रायपुर, दिनांक 11/01/2017

प्रति,

1. प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, सिहावा भवन, रायपुर,
2. मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, महानदी परियोजना, रायपुर,
3. मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, महानदी गोदावरी कछार, रायपुर,
4. मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, हसदेव कछार, बिलासपुर
5. मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, मिनीमाता (हसदेव) बांगो परियोजना, बिलासपुर,
6. मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, हसदेव गंगा कछार, अंबिकापुर

विषय :– एनीकट/अन्य निर्माण कार्यों की गुणवत्ता बनाए रखने हेतु मार्गदर्शी आदेश।

संदर्भ :– शासन का पत्र क्र.–106/एफ–5–260/एस–2/31/जसं/2013, दि.11.01.2017.

विषयांतर्गत शासन के उपरोक्त संदर्भित मार्गदर्शी आदेश की प्रतियां संलग्न प्रेषित है। कृपया आवश्यकता अनुसार और छायाप्रतियां कराकर सभी अधीक्षण अभियंताओं, कार्यपालन अभियंताओं एवं अनुविभागीय अधिकारियों को वितरित कराकर पावती शासन को तत्काल प्रेषित करने का कष्ट करें।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार।

विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
जल संसाधन विभाग
मंत्रालय, नया रायपुर

कार्या. कार्य. पा.अ.
खा.ज.स.सं. बिलासपुर
आ.क्र. 404 दि. 18/1/17
स.ले.अ./व.ले.लि./स्था.
एक./मु.लि. बजट/राजस्व
स्कंध/का.भा./दै.वे.भो./
पी.–2/पी.–3/पी.–4
पी.–5
अंकेक्षण
का.पा.अ.

SD-4
copy to all SE & EE

165
12-01-17
कार्य

12/1/17

more copy to all S.D.O and T/c

कार्यालय – मुख्य अभियंता
हसदेव कछार जल संसाधन विभाग
बिलासपुर (छ.ग.)

पृ. क्र. 71/ कार्य/ डी-4/2001/ बिलासपुर/ दिनांक 16-1-17

प्रतिलिपि
तत्काल

अधीक्षण अभियंता जल संसाधन मंडल रायगढ़/ बिलासपुर
कार्यपालन अभियंता जल संसाधन संभाग कोरबा/ बिलासपुर
की ओर सूचनार्थ एवं अग्रेषित किया जाता है कि अनुविभागीय अधिकारियों को वितरित कराकर पावती तत्काल प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित करें।

मुख्य अभियंता
हसदेव कछार जल संसाधन विभाग

Scanned with CamScanner

छत्तीसगढ़ शासन
जल संसाधन विभाग
मंत्रालय,
केपिटल कॉम्पलेक्स, महानदी भवन
नया रायपुर (छ.ग.)

क्र. 106/F-5-260/एफसा-2/31/जसं/2013 नया रायपुर, दिनांक ~~/12/2016~~ 11/01/2017

प्रति,

1. प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, रायपुर (छ.ग.)।
2. सर्व मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, ...
   रायपुर/बिलासपुर/अंबिकापुर।
3. सर्व अधीक्षण अभियंता, जल संसाधन मंडल, ...
4. सर्व कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, ...
5. सर्व अनुविभागीय अधिकारी, जल संसाधन उपसंभाग, ...

विषय :– एनीकट/अन्य निर्माण कार्यो की गुणवत्ता बनाए रखने हेतु मार्गदर्शी आदेश।

---00---

गत वर्षो में प्रदेश में निर्मित/निर्माणाधीन एनीकट के रूपांकन, निर्माण एवं गुणवत्ता में कमी के कारण क्षतिग्रस्त होने के कई मामले प्रकाश में आए हैं। अतः भविष्य में इस पुनरावृत्ति को रोकने हेतु एनीकट/अन्य निर्माण कार्यो में बरती जाने वाली सावधानियों के संबंध में निम्नानुसार मार्गदर्शी आदेश जारी किए जाते हैं :–

1. **एनीकट हेतु स्थल का चयन**–एनीकट निर्माण हेतु स्थल चयन प्रक्रिया निम्नानुसार होः--

   1.1 कार्यपालन अभियंता एनीकट निर्माण हेतु उपयुक्त स्थल चयन कर एक नज़री नक्शे में एनीकट निर्माण का स्थल अंकित करेगा। स्थल अंकित करने हेतु उस स्थान के अक्षांश–देशांश एवं किन्हीं 2 Permanent Structures से प्रस्तावित एनीकट की दूरी एवं कोण इत्यादि अंकित करना होगा।

   1.2 तत्पश्चात् अधीक्षण अभियंता नज़री नक्शे के साथ स्वयं स्थल का मुआयना करेगा एवं नजरी नक्शे पर यह प्रमाण–पत्र अंकित करेगा कि" चयनित स्थल तकनीकी रूप से एवं economically एनीकट निर्माण हेतु अन्य उपलब्ध विकल्पों की तुलना में सबसे उपयुक्त स्थल है।" अधीक्षण अभियंता अपने मुआयना के दौरान स्थल पर Foundation हेतु उपलब्ध Strata की भी उपलब्ध संसाधनों एवं दस्तावेजों के आधार पर जॉच कर इस संबंध में नज़री नक्शे पर, उपलब्ध Strata का प्रकार एवं इसमें किस प्रकार की नींव की आवश्यकता होगी, इस संबंध में अपनी टीप अंकित करेगा।

2. **तकनीकी स्वीकृति**– तकनीकी स्वीकृति हेतु प्रकरण मुख्य अभियंता के पास जमा करते समय प्रकरण के साथ अधीक्षण अभियंता द्वारा दिये गये उपरोक्त प्रमाण–पत्र को संलग्न करना अनिवार्य होगा। इसके अतिरिक्त कार्यपालन अभियंता ड्राईंग में निम्नानुसार प्रमाण–पत्र भी अवश्य अंकित करेगा :–

   (i) Certified that Adequate water way is Provided & there is no chance of outflanking.

   (ii) Certified that Adequate foundation is provided & there is no chance of Leakage through foundation and/or settlement/underpinning of foundation.

..2

Scanned with CamScanner

3. **माप लेना, माप पुस्तिका में अंकित करना एवं उसकी जाँच करना**—कार्यपालन अभियंता सभी Hidden items जैसे foundation, Reinforcement एवं संरचना के अन्य मुख्य–मुख्य अवयवों के जिनसे संरचना के प्रयोजन, सुदृढ़ता एवं सुरक्षा को खतरा हो सकता है, का शत–प्रतिशत माप चेक करेगा एवं तद्नुसार माप–पुस्तिका में प्रमाण–पत्र अंकित करेगा।

3.1 कार्य विभाग नियमावली की कंडिका 4.036 का पालन सुनिश्चित करते हुए अनुविभागीय अधिकारी को कार्यो में नींव की खुदाई, नींव की कांक्रीट या ऐसे समस्त आइटम जो जमीन तल से नीचे हो तथा जिन्हें कार्य उपरांत मिट्टी से ढंकना होता है, की पूर्ण जांच करना है।

3.2 कार्य विभाग नियमावली की कंडिका 4.040 (a) के अनुसार कार्यपालन अभियंता को माह में भुगतान किये जा रहे अंतिम बिलों के कम से कम 10% बिलों के पूर्ण मापों, जिनकी लागत माह के ऐसे समस्त बिलों की लागत के 10% से कम न हो, की जांच करना है।

3.3 कार्य विभाग नियमावली की कंडिका 4.040 में दी गई टीप के परिपालन में निर्माण कार्यो के संरचना की सुरक्षा हेतु महत्त्वपूर्ण अवयवों के पूर्ण मापों की जांच कार्यपालन अभियंता को करना है। महत्त्वपूर्ण अवयवों में Reinforcement steel, foundation level, Thickness of foundation concrete इत्यादि आते हैं।

3.4 कार्य विभाग नियमावली की कंडिका 4.045 के अनुसार अधीक्षण अभियंता अपने दौरे में यह भी देखेंगे कि माप पुस्तिकाएं सावधानी पूर्वक संधारित की जा रहीं हैं तथा सभी माप का इन्द्राज सही तरह से किया जा रहा है। वे मापों की जांचो के संबंध में आदेशों का पालन भी सुनिश्चित करेंगे।

3.5 कार्य विभाग नियमावली की कंडिका 7.012 (b) के अनुसार निर्माण कार्यो की नींव की खुदाई के अंतिम लेवल की जाचं अनुविभागीय अधिकारी द्वारा लिया जाकर एपेंडिक्स 7.02 के अनुसार कार्यपालन अभियंता को भी जांच करना है।

3.6 मिट्टी कार्य हेतु कार्य विभाग नियमावली की कंडिका 7.013 मेसनरी एवं कांक्रीट कार्य हेतु कंडिका 7.014 तथा नाला क्लोजर हेतु कंडिका 7.015 का पालन सुनिश्चित किया जाए।

3.7 योजनाओं के सर्वेक्षण/Investigation हेतु कार्य विभाग नियमावली की कंडिका 7.003 अनुसार प्रमुख लेवल्स की जाचं कार्यपानल अभियंता को किया जाना है।

4. **किए गए कार्यों का भुगतान**— कार्यपालन अभियंता ठेकेदार के प्रत्येक Running bill भुगतान के पूर्व माप–पुस्तिका में निम्नानुसार प्रमाण–पत्र अंकित करेगा :–

(i) All quality control tests have been performed & Results are upto the mark and as per specifications.

(ii) All items of work have been carried out as per approved drawing,design & specification.

..3

Scanned with CamScanner

Photography एवं Videography—कार्य प्रारंभ करने के पूर्व एवं निर्माण के दौरान महत्वपूर्ण निर्माण स्तरों (Important Levels) पर फोटोग्राफी, विशेष रूप से सभी संरचनाओं के Foundation Levels एवं Diaphragm wall के निम्न स्तर (Lowest Foundation Level) तक की फोटोग्राफी किया जाना अनिवार्य होगा। मुख्य–मुख्य अवयवों के निर्माण के समय यदि आवश्यकता हो तो Videography भी कराई जा सकती है। जिन्हें कार्य की नस्ती में एवं Paid Bills के साथ सुरक्षित रखा जाए।

गुणवत्ता जाँच

6.1 गुणवत्ता जांच हेतु कार्य विभाग नियमावली की कंडिका 6.002 एपेंडिक्स 6.02 का पालन सुनिश्चित किया जाए।

6.2 कार्य विभाग नियमावली की कंडिका 6.011 के अनुसार गुणवत्ता नियंत्रण इकाई न होने पर कार्य हेतु नियोजित अधिकारी/कर्मचारी द्वारा गुणवत्ता बनाए रखा जाना आवश्यक है। इस हेतु उन्हें कंडिका 6.015 के अनुसार आवश्यक प्रशिक्षण दिया जाना सुनिश्चित किया जाए। मंडल में पदस्थ सभी अधीक्षण अभियंता यह सुनिश्चित करेंगे।

6.3 गुणवत्ता नियंत्रण इकाई के R.O. एवं A.R.O. को कार्य विभाग नियमावली की कंडिका 6.019 एवं 6.020 के अनुसार कार्य कलापों का निर्वहन किया जाना सुनिश्चित करना है।

6.4 उपयोग में लाने के पूर्व ठेकेदार से Steel एवं Cement का Origional Bill एवं उत्पादनकर्ता द्वारा प्रदत्त गुणवत्ता जाँच परीक्षण परिणाम (Test Result/Reports) लेना एवं उसे माप पुस्तिका में अंकित कर भुगतान किए गए Bills के साथ रखना अनिवार्य होगा। इसके पश्चात् भी यदि निर्माण के दौरान कहीं Cement एवं Steel की गुणवत्ता में कमी महसूस की जा रही हो, तो उसे प्रयोगशाला भेजकर Test करवा लें व कार्यपालन अभियंता प्राप्त परिणामों से संतुष्ट हो ले अन्यथा ऐसे Cement व Steel का उपयोग निर्माण में न किया जाए।

योजना निर्माण की विभिन्न गतिविधियों यथा सर्वे एवं अनुसंधान, भू–अर्जन एवं वास्तविक क्रियान्वयन (Execution) के दौरान विभिन्न संवर्ग के अधिकारियों की जिम्मेदारी का निर्धारण कार्य विभाग नियमावली के एपेडिंक्स 7.02 में किया गया है, जिसका पालन सुनिश्चित किया जाए।

(गणेश शंकर मिश्रा)
सचिव
जल संसाधन विभाग
मंत्रालय, नया रायपुर

Scanned with CamScanner